न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 327/2022

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2022/506

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.गणपतलाल पुत्र हरिराम 2.गोविन्द पत्र सम्पतराज जाति खटीक निवासी बालोतरा तहसील–पचपदरा व जिला बालोतरा		1.थानाराम पुत्र जोगाराम जाति विश्नोई निवासी भाकरासनी धतरवालो की ढाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर 2.बाबुलाल पुत्र भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी हिगनियो की ढाणी तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 3.रामलाल पुत्र भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी हिगनियो की ढाणी तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री निर्मल खारवाल व श्री प्रेमराज पंवार अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 3

3.विप्रार्थी संख्या 04 अनुपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

:आदेश :

दिनांक– 21/04/2025

1. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण 1.गणपतलाल पुत्र हरिराम 2.गोविन्द पुत्र सम्पतराज जाति खटीक निवासी बालोतरा तहसील–पचपदरा व जिला बालोतरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 147 रकबा 7.18 बीघा मौजा नेवाई तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 517/143 में से परिशिष्ट अ में दर्शित मार्क ए से बी बरंग लाल 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी की ओर से वकालतनामा पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया गया। तहसीलदार पचपदरा ने निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल है।

3. तत्पश्चात् प्रकरण में उभय–पक्षकारान अधिवक्तो की बहस सुनी गई। विद्वान प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 517/143 में से 30 फीट बंरग लाल चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थीगण को आपति नहीं है। प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

4. इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से आवेदन पत्र मनगढन्त तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है,जिसमें सफलता मिलने की रति भर भी गुजाईश नहीं है। क्योंकि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे से रास्ता चल ही नही रहा है,केवलमात्र विप्रार्थी को परेशान करने की नियत से ही आवेदन पत्र पेश किया गया है। जबकि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मात्र 03 बीधा भूमि ही है,उक्त भूमि को शीर्ण जीर्ण करने की नियत से ही आवेदन पेश किया गया है। जबकि प्रार्थीगण खसरा संख्या 143 से ही रास्ता की मांग कर सकते है,लेकिन विप्रार्थी की भूमि को नुकसान पंहुचाने की नियत से ही विप्रार्थी को पक्षकार बनाया गया है। इसके अलावा मौका रिपोर्ट विप्रार्थी को सूचित किए बिना एकपक्षीय तैयार की गई है। अंत मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5. हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा संख्या 147 के लिए विप्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 517/143 व 143 में से बरंग आसमानी में दर्शित रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता को स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया है,जिसे साबित करने का भार प्रार्थी पक्ष पर है।

6. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबंध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसार:–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। लेकिन प्रार्थीगण की ओर से मौका रिपोर्ट के अलावा ऐसा कोई अन्य दस्तोवजी साक्ष्य पेश नही किया गया,जिससे साबित होता हो कि प्रार्थीगण को रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता हो। इसके अलावा प्रार्थीगण की ओर से अपने आवेदन पत्र में रास्ता के लिए खसरा संख्या 517/143 मे से ही रास्ता का अनुतोष चाहा गया। जबकि उक्त खसरान के अलावा खसरा संख्या 143 भी प्रभावित हो रहा है,जो कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र में कही भी उक्त खसरान का उल्लेख नही किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण का आवेदन पत्र अपूर्ण होने के कारण चलने योग्य नहीं है। इसके अलावा खसरा संख्या 143 जो कि खाता नम्बर 01 है,जिसमे से रास्ता दिए जानें से भूमि के दो टुकड़े हो जाऐगे,जो कि राज्य सरकार की भूमि को जीर्ण शीर्ण किए जाने की मंशा लगती है। जबकि भूमिधारी तहसीलदार का उतरदायित्व बनता है कि राज्य सरकार की भूमियो मे रास्ता समग्र जांच करते हुए प्रस्तावित किया जाना चाहिए,जो कि हस्तगत प्रकरण मे नही किया गया है। इस प्रकार यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रार्थीगण केवलमात्र अपनी सुविधा के लिए रास्ता की मांग कर रहा है,जो कि कानून में निहित प्रावधानो के तहत प्रार्थीगण को अपनी सुविधा के लिए रास्ता दिया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा (S.D.O.)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

नहीं जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थी यह सिद्व नहीं कर पाया है कि उसे रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता है। साथ ही प्रार्थी यह भी साबित नहीं कर पाया है कि वैकल्पिक साधन का अभाव हो। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 21/04/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
21/04/2025